रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3805] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 26, 2018/आश्विन 4, 1940
No. 3805] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 26, 2018/ASVINA 4, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2018

का.आ. 4983(अ). —आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु, 'छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग', रायपुर जोकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित निकाय है, को उसे होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, जिस का ब्यौरा निम्नलिखित हैः—

(क) राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान;

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत वार्षिक लाइसेंस शुल्क;

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत याचिका शुल्क;

(घ) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत लगाया गया जुर्माना।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि 'छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग', रायपुर –

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) कार्यकलाप और विशेष आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए लागू समझी जाएगी और निर्धारण वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 56 /2018 / फा. सं. 300196/45/2017-आईटीए-I]

विनयशील गौतम, अवर सचिव